THESE ARE TO REQUEST AND

इसके दुवारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति

के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे

REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND BEARER TO PASS FREELY

РКОТЕСТІОМ ОҒ WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED. टोक के स्वतंत्र रुप से आने-जाने हैं, मंबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे है कि वे धारक को विमा किसी रोक-

BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Regional Pessport Office मात्रस्योति प्रया**ताः अधिकारी** R with Delhi

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

आवश्यकता हो ।



टाईप / Type **P** पाष्ट्र कोड / Country Code IND पासपोर्ट नं./ Passport No. K1117132 उपनाम/Surname BISWAL

दिया गया नाम / Given Name(s)

SUSHMITA

पाष्ट्रीयला / Nationality

जन्मतिथि / Date of Birth

INDIAN

05/07/1987

जन्म स्थान / Place of Birth

NEW DELHI

Sushmita Biswal

जारी करने का स्थान / Place of Issue

DELHI

जारी करने की तिथि / Date of issue

समाप्ति की तिथि / Date of Expiry

18/11/2011

17/11/2021

K1117132<0IND8707051F2111175<<<<<<<<<<<

DLHZ09984311
দাইল ব./ File No.
greet Pare का न. और ष्रशक्ते जारी होने की लिख एवं रथाल \ Old Passport No. with Date and Place of Jeuer
NEM DETHI-110076
ALI EXTU SARITA VIHAR
B-5 BISWAL HOUSE
ezuog2 to emisM \ मानः एक सिन्म ाष्ट हीय
MONOWI BISMAL
SARAT KUMAR BISWAL

प्रधानक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

पासपोटे गुम हो जाते, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सुजना भारत में सबसे निकटतम पासपोटे अधिकारी को अथवा यदि पासपोटे धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिश्म/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तुत पूछताछ के बाद ही

डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया आएगा ।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा

तो उसका हुरंत अनुपालन किया जाए।

प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति

नहीं की जानी चाहिए।

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST. REGISTRATION

INDIA, ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY. THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF CAUTION

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिश्रन/

केन्द्र में अपना पजीकरण करवाए।

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्मति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोट लौटाने की मांग भी शामिल है

घेतावनी